राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	4491/2022 मिट्ठुलाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग(नियम), राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राज. 2. सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर, 3. पुलिस अधीक्षक, चितौड़गढ, राज.।	08.09.2022	श्री सुनील कुमार सैनी
2.	4492/2022 युवराज सिंह			
3.	4493/2022 सुरेश कुमार			
4.	4494/2022 दिलिप सिंह			

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर हुई थी। अपीलार्थीगण की 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर उन्हे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। वर्तमान में अपीलार्थीगण अपनी 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके है। उनका कथन है कि वे पुनर्निधारण वेतनमान से संतुष्ट नहीं है और उन्हे 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर भी द्वितीय चयनित वेतनमान देने से रोका गया है। परिपत्र दिनांक 11.01.1999 के अनुसार जो कार्मिक ड्राइवर की सेवाएं दे रहे है, उन्हें चालक डाइवर के समकक्ष पदोन्नति पद के वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। अपीलार्थीगण कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर है और उन्हे विकल्प पत्र भरने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके अनुसार उन्होने कार्यालय में विकल्प पत्र हस्ताक्षर करके दिया था परंतु इसके संबंध में आगे क्या कार्यवाही होनी है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। जो कार्मिक अपीलार्थीगण से कनिष्ठ है, वह अपीलार्थी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है। दिनांक 29.12.2008 के बाद प्रत्यर्थी विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.02.2009 में राजस्थान सिविल सेवा (वेतन निर्धारण) नियम, 2008 के द्वारा संशोधन किया

गया, जिसके बारे में अपीलार्थी को सूचित किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया , जिसमें उसे 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर नियम, 2008 के अंतर्गत पुनः विकल्प भरने की अनुमति दी गई। उपरोक्त नियम के आधार पर अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इसी प्रकार का समान प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 कुलदीप सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 26.04.2013 को आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का मामला भी इसी के समान तथ्यों पर आधारित है। अधिकरण ने भी उक्त आदेश के आधार पर कई आदेश पारित किये, जो अपील संख्या 2673/2021 में दिनांक 12.08.2021 को आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है।

उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी के विकल्प पर पुनः विचार करते हुए पुनर्निधारण वेतनमान नियम, 2008 के द्वारा 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं सभी पारिणामिक लाभ देने पर विचार किया जाए।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह

की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

6. मूल आदेश पेज संख्या 4491/2022 मीट्ठुलाल बनाम राजस्थान राज्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)